महत्वपूर्ण एवं खास

ट्रक पलटने से हताहत हुए थे मवेशी, चालक पर पशुक्रूरता का अपराध दर्ज

रायगढ़। दिनांक 22-06-2021 के रात्रि थाना सिटी कोतवाली रायगढ़ अन्तर्गत लाखा पुल के पास ट्रक क्रमांक जेएच-01- सीजे 7785 के पलट जाने से ट्रक में लोड़ कृषिधन मवेशियों के हताहत होने की सूचना कोतवाली पुलिस को मिली। कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, जहां ट्रक का ड्रायवर ट्रक को छोड़कर फरार था। ट्रक अंदर डाला में 18 कृषिधन मवेशी मर चुके थे, 9 घायल थी, चल फिर रही थी। कोतवाली पुलिस रिपोर्टकर्ता प्रद्युमन सिंह पिता बलराम सिंह उम्र 50 वर्ष निवासी लाखा के रिपोर्ट पर ट्रक के चालक पर अपराध क्रमांक 805/21 धारा 279, 429 एवं धारा 6 छ0ग0 कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। वाहन मालिक को कोतवाली पुलिस द्वारा तलब किया गया है।

कैण्टीन संचालन के लिये 7 जुलाई तक निविदा आमंत्रित

रायगढ़ । कलेक्टोरेट परिसर रायगढ़ में स्थित कैण्टीन को दो वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 तक संचालन के लिये वार्षिक ठेका पर दिये जाने हेतु 7 जुलाई 2021 अपरान्ह 3 बजे तक प्रभारी अधिकारी नजरात शाखा जिला कार्यालय के समक्ष निविदा पेश कर सकते है। निविदा उसी दिन शाम 5 बजे खोली जायेगी जिसमें स्वयं या उनके प्रतिनिधि उपस्थित हो सकते है। कैण्टीन संचालन के लिये वार्षिक ठेका पर दिये जाने हेतु निर्धारित नियम/शर्तों के अधीन योग्य अनुभवी व्यक्ति/संस्थान/समूह से वार्षिक किराये पर संचालित करने हेतु निविदा सूचना 18 मार्च 2021 को निरस्त करते हुये पुनः निविदा आमंत्रित किया गया है। ठेके/किराये की आवश्यक शर्ते व कार्य का विवरण/आवेदन पत्र कार्यालयीन समय में जिला नाजिर, जिला कार्यालय के पास 500 रुपये प्रपत्र शुल्क के साथ 7 जुलाई 2021 तक प्राप्त की जा सकती है अथवा जिले के वेबसाईट www.raigarh.gov.in भी अवलोकन कर निविदा प्रपत्र प्राप्त किया जा सकता है इस स्थिति में भी निविदा शुल्क ड्राफ्ट/चेक के माध्यम से अनिवार्य जमा करना होगा।

जिले में 193.7 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज

रायगढ़ । चालू वर्षा मौसम में रायगढ़ जिले में 23 जून तक 193.7 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज की गई है। बीते 24 घंटे में जिले में 28.3 मिली मीटर औसत वर्षा हुई है। भू-अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक जिले के रायगढ़ तहसील में 209.7 मिली मीटर, पुसौर में 326.9, खरसिया में 180.4, सारंगढ़ में 218.3, बरमकेला में 131.7, घरघोड़ा में 209.4, तमनार में 190.7, लैलूंगा में 87.9 तथा धरमजयगढ़ तहसील में 188.7 मिली मीटर वर्षा दर्ज की गई है।

संविदा शिक्षक हेतु ऑनलाईन आवेदन 29 जून तक आमंत्रित

रायगढ़ । जिले के स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में रिक्त पदों की पूर्ति करने के लिये योग्य उम्मीदवारों से संविदा शिक्षक हेतु ऑनलाईन आवेदन 29 जून 2021 तक आमंत्रित किये गये है। इस संबंध में जानकारी के लिये जिले के वेबसाईट www.raigarh.gov.in में अवलोकन कर सकते है। प्रथम चरण के लिये अर्हताकारी परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर पात्र/योग्य उम्मीदवारों की सूची जिले के वेबसाईट में 30 जून 2021 को प्रदर्शित होगी।

रिक्त पदों का जानकारी - व्याख्याता अंतर्गत गणित-1, जीवविज्ञान-3, भौतिकी-5, रसायन-4, सामाजिक अध्ययन-8 एवं वणिज्य में 5 पद रिक्त है। शिक्षक मिडिल स्कूल अंतर्गत अंग्रेजी-3, जीवविज्ञान संकाय-2, गणित संकाय-6 एवं सामाजिक विज्ञान-7 तथा सहायक शिक्षक प्राइमरी स्कूल अंतर्गत कला संकाय-9 एवं विज्ञान संकाय के 10 सहित कुल 63 पद रिक्त है।

राजेन्द्रनगर-दुर्ग स्पेशल ट्रेन के फेरे बढ़ाये गये

रायपुर (आरएनएस)। राजेन्द्रनगर और दुर्ग के मध्य चलने वाली स्पेशल ट्रेन के परिचालन में विस्तार किया गया है। रेल मंडल रायपुर कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों की बेहतर यात्रा सुविधा हेतु राजेन्द्रनगर-दुर्ग-राजेन्द्रनगर के मध्य 02 जुलाई 2021 तक चल रही स्पेशल ट्रेन के परिचालन में 02 सितम्बर तक विस्तार किया जा रहा है। अब गाड़ी संख्या 03288 राजेन्द्रनगर-दुर्ग स्पेशल ट्रेन को 31 अगस्त तक तथा गाड़ी संख्या 03287 दुर्ग-राजेन्द्रनगर पूजा स्पेशल ट्रेन को 02 सितम्बर तक चलेगी।

विशेष अभियान में 170 से अधिक फरार स्थायी वारंटी आये पुलिस की पकड़ में, रिकॉर्ड 400 से अधिक समंस/वारंट की हुई तामिली

» फरार वारंटी सीमावर्ती जिलों में छिपकर करने लगे थे गुजर-बसर, पुलिस की न्यायालय पेश

» कई वारंट जारी होने से थे अंजान, कोई ऑटो चला रहा तो कोई सब्जी बेच रहा था

रायगढ़। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह द्वारा फरार वारंटियों, आरोपियों तथा गुंडा, बदमाशों की जांच के लिये 16 जून से सप्ताहभर का विशेष अभियान पूरे जिले में चलाया गया था, जिसमें 156 स्थाई वारंटी, 15 गिरफ्तारी वारंट एवं 257 जमानती वारंट और समंस की तामिली की गई है। अभियान दौरान लंबित गंभीर मामलों के फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया है।

तामिल किये गये स्थायी वारंटियों की भी अखोनी कहानी है। कई ऐसे वारंटी थे, जिन्हें वारंट जारी होने की जानकारी नहीं थी। कई शातिर आरोपी जिले के अपराध में संलग्न होने से न्यायालय द्वारा वारंट जारी किये जाने पर पहचान छिपाकर सीमावर्ती जिलों में गुजर-बसर करने लगे थे।

चौकी कनकबीरा का फरार स्थाई वारंटी पुरुषोत्तम चौहान पर दहेज प्रताड़ना के मामले में छुरबष्ट सारंगढ़ के न्यायालय द्वारा स्थायी वारंट जारी किया गया था। चौकी प्रभारी कनकबिरा गिरधारी साव लगातार वारंटी के घर पर दबिश दे रहे थे। वारंटी फरार था, मुखबिर लगाने पर जानकारी मिली कि वारंटी रायपुर में सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा है, जिसे गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया।

चौकी जूटमिल का स्थायी वारंट मुन्ना उर्फ दीपक सिदार जांजगीर के होटल में अपनी पहचान छिपाकर काम कर रहा था। चोरी के मामले का स्थायी वारंटी रंजन गोड़, जूटमिल झोपड़ीपारा पिछले 10 साल से दूसरे राज्य जाकर छिपा था जो अपने परिचितों से यहां की जानकारी लेते रहता था। कुछ दिन पहले रंजन गोड़ सब्जी बेचने के काम में लग गया था,जिसकी जानकारी मिलने पर वारंट की तामिली करते हुए रंजन गोड़ को न्यायालय पेश किया गया। जूटमिल का ही स्थायी वारंटी सुशील चौहान पहचान छिपाकर ऑटो चला रहा था, लॉकडाउन के कारण बाहर रहने से पेशी पर उपस्थित नहीं हो पाना बताया।

जमानतीय अपराधों के आरोपी भी लंबे समय से न्यायालय उपस्थित नहीं हो रहे थे, वारंट के जारी होने पर पुलिस टीम फरार वारंटियों के सकुनत दबिश देकर परिवारजनों को न्यायालय उपस्थित होने की हिदायत दी जा रही थी, लगातार दबाव बनाने पर कई वारंटी गांव आये,जिन्हें न्यायालय पेश किया गया है। अभियान दौरान पुलिस कई गंभीर अपराधों के आरोपियों को दिगर प्रांत से पकड़ कर लायी है। लॉकडाउन के दौरान माननीय न्यायालय के आदेश पर जमानती/समंस न्यायालय जमा किया गया था। न्यायालीन कार्य सुचारू रूप से आरंभ होने से अब लगातार वारंट व समंस थाना, चौकी को प्राप्त हो रहे है। अभियान दौरान रिकार्ड 428 स्थायी, गिरफ्तारी, जमानती वारंट और समंस की तामिली कर न्यायालय पेश किया गया है।

सरिया पुलिस की नाकेबंदी में भठली के पास युवक से 20 लीटर महुआ शराब व मोटर सायकल जब्त

सरिया। पुलिस द्वारा दिनांक 22/06/2021 को अवैध मादक पदार्थ गांजा के साथ अवैध महुआ शराब की कार्रवाई की गई है। शराब परिवहन के विरूद्ध की गई कार्रवाई में आरोपी से 20 लीटर महुआ शराब और बाईक की जप्त की गई है। आरोपी को आबकारी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।

जानकारी के अनुसार माइनर एक्ट की कार्रवाई करने थाने के प्रधान आरक्षक श्रीराम साहू आरक्षक महादेव बंजारा, मोहन लाल पटेल के साथ देहात पेट्रोलिंग पर थे ,जिन्हें मुखबिर से सूचना मिला कि एक व्यक्ति इच्छापुर (उड़िसा) की ओर से महुआ शराब बिक्री करने के लिये मोटर सायकल से ला रहा है। सूचना पर स्टाफ सरिया, भठली मेन रोड में नाकाबंदी किये। कुछ समय बाद भठली की ओर से आ रहे एक लाल रंग के मोटर सायकल के चालक को रोककर पूछताछ किये जो अपना नाम दिलीप बेसन पिता अक्षय बेसन उम्र 29 वर्ष सा0 द्वारी थाना अम्बाभौना जिला बरगढ (उडिसा) का होना बताया। उसके मोटर सायकल को चेक करने पर मोटर सायकल के सामने तेल टंकी ऊपर रखा एक सफेद प्लास्टिक बोरी अंदर पन्नी में भरा 20 लीटर महुआ शराब मिला। आरोपी इसे अवैध बिक्री के लिये ओडिशा से लेकर आना बताया, जिस पर उससे 20 लीटर महुआ शराब, कीमती 4000 और उसकी मोटर सायकल टीवीएस स्पोर्टस क्र0 ओडी 17 ए 0209 को जप्त कर थाने लाया गया। आरोपी पर 34(2)59(क) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई कर रिमांड पर भेजा गया है।

छापेमारी में पौने दो लाख का 35 किलो गांजा बरामद

» घर पर गांजा छिपाकर रखे होने की सूचना पर सरिया पुलिस की रेड

रायगढ़। सरिया पुलिस द्वारा दिनांक 22/06/2021 को ग्राम अमेरी में उमेश चौधरी के घर पर गांजा रेड की कार्रवाई कर घर में अवैध बिक्री केलिये रखी हुई 35 किलो गांजा बरामद किया गया है, आरोपी पर एनडीपीसी एक्ट की कार्रवाई कर आज रिमांड पर भेजा गया है।

विदित हो कि पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह द्वारा गांवों में अवैध शराब, गांजा पर प्रतिबंध लगाने थाना प्रभारियों को मुखबिरों के साथ ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों को विशेष तौर पर निर्देशित करने एवं उनसे लगातार सम्पर्क कर गांव में सभी प्रकार की गतिविधियों की जानकारी लेने निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में दिनांक 22/06/2021 को थाना प्रभारी सरिया निरीक्षक डी.के. मार्कण्डेय को ग्राम अमेरी में रहने वाले उमेश चौधरी के घर पर ओडिशा से गांजा लाकर बिक्री करने की सूचना मुखबिर एवं गांव के प्रमुख व्यक्तियों से मिली। इस सूचना को टी.आई. मार्कण्डेय द्वारा एसपी रायगढ़ एवं सुपरविजन अधिकारी डीएसपी (आईयुसीएडब्ल्यू) गरिमा द्विवेदी को अवगत कराते हुए बगैर विलम्ब किये गवाहों को साथ लेकर ग्राम अमेरी में उमेश कुमार चौधरी उर्फ चंडु लाल के घर रेड किये। घर की विधिवत तलाशी दौरान उमेश चौधरी के घर छत के ऊपर कमरे में 35 पैकेट दो प्लास्टिक बोरी अंदर में मादक पदार्थ गांजा मिला , जिसका मूल्य व मात्रा 35 किलो गांजा, कीमती ?1,75,000 है। आरोपी ओडिशा से अवैध बिक्री के लिये घर में छिपाकर रखना बताया है, जिसे जप्त कर आरोपी उमेश कुमार चौधरी उर्फ चंडु लाल पिता स्व0 नंदलाल चौधरी उम्र 33 वर्ष सा. अमेरी थाना सरिया के विरूद्ध थाना सरिया में धारा 20(बी) एनडीपीसी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। गांजा रेड की कार्रवाई में निरीक्षक डी.के. मार्कण्डेय के हमराह सहायक उप निरीक्षक विमल यादव, आरक्षक राज कुमार साव, रामजी सारथी, गोपाल प्रसाद डनसेना, मोहन लाल गुप्ता, सियाराम कोरस, महिला आरक्षक झटकांति सिदार की अहम भूमिका रही है।

बोकरामुड़ा के लोगों ने समझी बात, एक ही दिन में 81 लोगों ने लगवाया कोविड का टीका

रायगढ़। कोविड महामारी से बचाव के लिये जिला प्रशासन द्वारा कलेक्टर भीम सिंह के नेतृत्व व्यापक स्तर पर टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। टीकाकरण की व्यवस्था किये जाने के साथ ही लगातार लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जा रहा है। कई जगहों पर टीकाकरण को लेकर लोगों में कई भ्रांतियां व्याप्त होने की बातें भी सामने आती है। जिसका टीकाकरण में लगी टीम द्वारा लगातार समझाईश देकर लोगों को टीका लगवाया जा रहा है। ऐसा ही एक सुखद घटना बरमकेला विकासखण्ड से सामने आयी है। यहां के ग्राम पंचायत सुखापाली के आश्रित ग्राम बोकरामुड़ा के लोग विभिन्न प्रकार की भ्रांतियों व गलत जानकारियों के चलते टीका नहीं लगवा रहे थे। किन्तु गांव के लोगों को समझाईश दिये जाने का सकारात्मक असर देखने को मिला। इस

गांव में जहां लोग टीका लगवाने सामने नहीं आ रहे थे वहां समझाईश के बाद एक ही दिन में 81 लोगों ने टीका लगवाया।

बरमकेला विकासखण्ड के सीईओ जनपद पंचायत एन.आर.पटेल ने बताया कि गांव में टीकाकरण को लेकर नकारात्मक माहौल होने की जानकारी मिलने पर ग्राम बोकरामुड़ा के नोडल अधिकारी मिनकेतन चौधरी, सरपंच श्रीमती संयुक्ता साहू, ग्राम पंचायत सचिव बसंत कुमार सिदार एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम की संयुक्त रूप से बैठक लेकर एक रणनीति तैयार की गई। सभी लोगों ने गांव के प्रत्येक घरों में जाकर उन्हें समझाईश दी कि कोरोना से बचने हम सबको टीका लगाना जरूरी है। टीके लगाने से किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। जिले में 7 लाख से अधिक टीके लगाये जा चुके है। वैक्सीन लगवाना पूर्णतः सुरक्षित है। आज की स्थिति में स्वयं को अपने परिवार, अपने मोहल्ले तथा अपने गांव के लोगों को संक्रमण से सुरक्षित रखने के लिये टीका लगवाना बेहद जरूरी है। गांव के लोगों पर समझाईश का असर हुआ और 22 जून को एक ही दिन में गांव के 81 लोगों ने कोविड का टीका लगवाया। गांव के लोग अब कहते है कि कोविड से बचाव के लिये सभी को टीका जल्द से जल्द लगवाना चाहिये।

विवाहित युवक के आये दिन करता था छेड़खानी, परेशान युवती ने कोतवाली में की रिपोर्ट, आरोपी गिरफ्तार

रायगढ़। कोतवाली पुलिस शीलभंग के आरोप में आरोपी कन्हैया लाल दलाल पिता बजरंग लाल उम्र 35 वर्ष निवासी बीड़पारा हाल मुकाम इंदिरानगर थाना कोतवाली को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।

जानकारी के अनुसार थाना कोतवाली क्षेत्र में रहने वाली युवती दिनांक 22/06/2021 को थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई कि कन्हैया दलाल से पूर्व जान पहचान होने से उससे मोबाईल में बातचीत होती थी। कन्हैया की शादी हो जाने के बाद उससे बात करना बंद कर दी। कुछ दिनों बाद कन्हैया फोन पर धमकी देने लगा कि पहले की तरह बातचीत किया करो नहीं तो आत्महत्या कर लूंगा और उससे पहले तुम्हारी छवि खराब कर दूंगा। कन्हैया आते जाते रस्ते में पिछा कर हाथ पकड कर बाईक में बैठ कहकर छेड़खानी करता है। युवती के रिपोर्ट पर आरोपी युवक पर अप.क्र. 803/2021 धारा 354,354(घ),506,507 भादवि दर्ज कर त्वरित कार्रवाई करते हुए, कोतवाली था पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।

आयुक्त एवं अपर आयुक्त के मध्य नया कार्यविभाजन, प्रत्येक मंगलवार एवं बुधवार को संभागायुक्त करेंगे प्रकरणों की सुनवाई

रायगढ़। बिलासपुर संभाग में नवपदस्थ अपर आयुक्त कुमार लाल चौहान (आईएएस) द्वारा पदभार ग्रहण करने के पश्चात् संभागायुक्त डॉ.संजय अलंग द्वारा पूर्व में जारी कार्यविभाजन आदेश को निरस्त करते हुए प्रकरणों की सुनवाई, निवर्तन एवं कार्यालयीन कार्यो के निष्पादन के लिए आयुक्त एवं अपर आयुक्त के मध्य नया कार्यविभाजन किया गया है।

संभागायुक्त डॉ.संजय अलंग के सुनवाई का क्षेत्राधिकार-जिला बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर-चांपा, रायगढ़, मुंगेली एवं गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिलों के कलेक्टर्स के आदेशों के विरूद्ध समस्त प्रकरण, अनुविभाग-बिलासपुर, कोरबा, कटघोरा, पाली, जांजगीर-चांपा, सक्ती, पथरिया, घरघोड़ा एवं मुंगेली के समस्त प्रकरण, जिला स्तरीय ओव्हर साईट कमेटी, भारतीय स्टाम्प एक्ट के अंतर्गत समस्त प्रकरण, राष्ट्रीय राजमार्गो के पुनर्वास और उन्नयन के लिए भूमि के अधिग्रहण से उत्पन्न मध्यस्थता के आर्बिट्रेटर का रहेगा।

इसी तरह अपर आयुक्त कुमार लाल चौहान अनुविभाग-बिल्हा, कोटा, तखतपुर, मस्तूरी, पेण्ड्रारोड, मरवाही, पोड़ी-उपरोड़ा, लोरमी, पामगढ़, डभरा, सारंगढ़, खरसिया, धरमजयगढ़, रायगढ़ एवं लैलूंगा के समस्त प्रकरण का कार्य देखेंगे। प्रशासनिक कार्य भू-अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन के प्रकरण, इण्डस्ट्रियल कारीडोर के

प्रकरणों में कार्यवाही, सीएसआर, स्वच्छ भारत अभियान, नगरीय निकाय एवं पंचायत निर्वाचन से संबंधित प्रकरण, धान खरीदी का निरीक्षण एवं परिवेक्षण, कौशल विकास संबंधी कार्यवाही, नजूल प्रकरणों के नवीनीकरण संबंधी कार्यवाही, विभागीय जांच से संबंधित प्रकरण, स्थायी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण-पत्र (जाति प्रमाण पत्र) के लिए द्वितीय अपीलीय अधिकारी, मध्यस्थता से विवाद, आर्बीट्रेशन आदि, रेल्वे कारिडोर-मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996, नियमितीकरण-नगर निवेश बिलासपुर संभाग, माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर रिट याचिकाओं के प्रकरण में प्रभारी अधिकारी नियुक्त करना एवं जवाबदावा प्रस्तुत कराने के प्रकरण पर कार्यवाही तथा आयुक्त द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य प्रशासनिक कार्य देखेंगे।

आयुक्त के द्वारा प्रकरणों की सुनवाई सामान्यतः माह के प्रत्येक मंगलवार एवं प्रत्येक बुधवार को किया जायेगा। आयुक्त द्वारा रायगढ़ जिला के उपरोक्त प्रभार वाले प्रकरणों की सुनवाई मुख्यालय बिलासपुर में न्यायालयीन दिवस में की जायेगी।

अपर आयुक्त द्वारा रायगढ़ जिला के उपरोक्त अनुभागों के प्रकरणों की सुनवाई माह के तृतीय गुरूवार एवं शुक्रवार को रायगढ़ कैम्प में किया जायेगा। आयुक्त एवं अपर आयुक्त, दोनों में से किसी एक के मुख्यालय में अनुपलब्ध होने की स्थिति में उनके प्रकरणों में दूसरे के द्वारा सुनवाई किया जायेगा। अन्य अनुज्ञात परिस्थितियों में प्रकरणों की सुनवाई एवं क्षेत्राधिकार के संबंध में आयुक्त द्वारा निर्णय किया जायेगा।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480